2025/776

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

हणमानाराम जाखड़ बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 136 एल आर मु.नं. 400 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
19/9/25	प्रार्थी हणमाना राम जाखड़ पुत्र नानू राम जाति जाट निवासी ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के अनुसार ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 269 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम हणमानराम पुत्र नानूराम दर्ज है, जो कि गलत है तथा ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 266 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम हणमान पुत्र नानूराम दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम हणमाना राम जाखड़ पुत्र नानू राम है। प्रार्थी के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थी का सही नाम हणमाना राम जाखड़ पुत्र नानू राम दर्ज है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम हणमानराम पुत्र नानूराम/हणमान पुत्र नानूराम के स्थान पर हणमाना राम जाखड़ पुत्र नानू राम दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1357 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 269 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम हणमानराम पुत्र नानूराम के स्थान पर हणमाना राम जाखड़ पुत्र नानू राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 266 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम हणमान पुत्र नानूराम के स्थान पर हणमाना राम जाखड़ पुत्र नानू राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगें। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1357 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर	

उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:06:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner